गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 2576
दिनांक 25/7/2022

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 16(1)गृह–1/2021

जयपुर, दिनांक : 21/7/2022

आदेश

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस0बी0सी0डब्ल्यू0पी0 नं0 5470/2015 में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2016 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या 1214/2021 स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य बनाम नरेश कुमार शर्मा में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 25.04.2022 की पालना में राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 एएए में विहित प्रावधान के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में वर्ष 2016–17 में कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त राय एवं वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत एक छाया पद के विरूद्व श्री नरेश कुमार शर्मा को विशेष पदोन्नति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

इनकी वरिष्ठता नियमिति डीपीसी वर्ष 2016–17 में चयनित अन्तिम अधिकारी श्री किशोरी लाल पुत्र श्री माडूराम (एससी) के नीचे निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री नरेश कुमार शर्मा अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

उक्त अधिकारी को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0
(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री महोदय, गृह।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

21/7/22
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Scanned with CamScanner